आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 31.07.2023 से 05.08.2023)

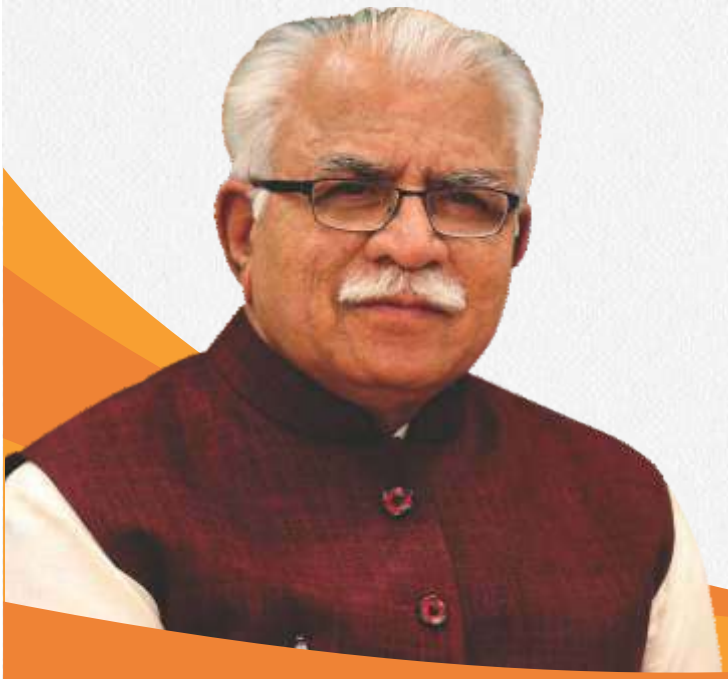

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

शहीद उधम सिंह जी के शहीदी दिवस

(दिनांक 31.07.2023)

प्रभावः माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्यतिथि शिरकत की।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की। उन्होनें शहीद उधम सिंह के चरणों में नमन किया और कहा कि उधम सिंह जैसे बलिदानियों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह प्रेरणा का विषय है कि आजादी के मतवाले शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देने हम यहां पहुंचे हैं। आज

साप्ताहिक सूचना पत्र

हम शहीद उधम सिंह के बलिदान को भुला नहीं सकते। उन जैसे शहीदों की कुर्बानियों की वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं।

काम्बोज सभा की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल, कुरुक्षेत्र और शाहाबाद में निर्माणाधीन तीन धर्मशालाओं के लिए 47 लाख 76 हजार 76 रुपये की राशि दी। करनाल की काम्बोज धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपये, कुरुक्षेत्र की धर्मशाला के लिए 21 लाख 76 हजार 76 रूपये और शाहाबाद की धर्मशाला के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र की धर्मशाला के लिए सांसद नायब सिंह सैनी ने भी 11 लाख रुपये देने की घोषणा की।

देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अंत्योदय के भाव से काम कर रहे हैं। उनके लिए भारत सर्वप्रथम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें देश का भला करना है तो देश हित में काम करना होगा। हरियाणा सरकार भी अंत्योदय के भाव से काम कर रही है। शिक्षा,

स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब व पिछड़े को सबसे पहले मिले, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है।

महापुरुषों के बलिदान व उनकी शिक्षा जन–जन तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार–प्रसार योजना बनाई है। इसी के अंतर्गत महापुरुषों व संतों की जयंती सरकारी खर्च पर मनाई जा रही हैं। हरियाणा सरकार हरियाणा एक–हरियाणवी–एक के नारे पर कार्य कर रही है। देश के नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधकर आगे बढ़ना ही क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

निर्माणाधीन ज्योतिसर अनुभव केन्द्र का निरीक्षण करना

(दिनांक 31.07.2023)

प्रभावः माननीय मुख्यमंत्री जी गीता स्थली ज्योतिसर में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होनें महाभारत थीम पर आधारित निर्माणाधीन ज्योतिसर अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट का जायजा लिया और पर्यटन विभाग के अधिकारियों से इस प्रोजेक्ट की जानकारी हासिल की है। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 205 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा। इस बजट में से 30 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। इस गीता स्थली ज्योतिसर में भारत सरकार की तरफ से जारी बजट में से 29 करोड़ रुपये का बजट भवन निर्माण कार्य में खर्च किया जा चुका है। यह प्रोजेक्ट विश्व दर्शनीय होगा और दूर–दराज से विश्व के कोने–कोने से आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

गुरू रविदास धर्मस्थान सिरसगढ़ का 20 वा स्थापना दिवस

(दिनांक 31.07.2023)

प्रभावः माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री गुरू रविदास धर्मस्थान सिरसगढ़ के 20वें स्थापना दिवस व अमर शहीद ब्रह्मलीन श्री श्री 108 रामानन्द जी महाराज के 14वें शहीदी दिवस पर आयोजित धार्मिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मौके पर धर्म स्थान सिरसगढ़ में निर्माण कार्यों के लिए 21 लाख रूपये तथा आज यहां पर आयोजित कार्यक्रम के लिए संत महापुरूष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत 11 लाख रूपये की राशि देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सिरसगढ़ धर्मस्थान के पदाधिकारियों की मांग पर सुरक्षा की दृष्टि से आज से ही यहां पर पांच पुलिसकर्मियों की गार्द लगाने, एनएच एआई से सम्बन्धित कार्यों के लिए केन्द्र

सरकार को पत्र लिखने की बात कही। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी कहा कि वे सिरसगढ़ धर्मस्थान के सामाजिक कार्यों को देखते हुए यहां के जो भी कार्य प्रशासन से सम्बन्धित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर करवाएं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यदि सिरसगढ़ धर्मस्थान की तरफ से जो भी बात उनके संज्ञान में लाई जायेगी उसमें उनका सहयोग किया जायेगा।

माननीय मुख्यमंत्री ने अमर शहीद रामानंद जी महाराज को श्रद्धांजली भी दी तथा श्री गुरू रविदास धर्मस्थान सिरसगढ़ के 20वें स्थापना दिवस की श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महाराज निरंजन दास ने मुख्यमंत्री व अन्य वशिष्ठ अतिथियों को शाल तथा संत गुरू रविदास जी का स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया व उन्हें आर्शीवाद दिया।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धालुओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि गुरूओं एवं संतों के द्वारा ही सही शिक्षा और सही संस्कार व्यक्ति को मिलते हैं जिससे वह देश का एक अच्छा नागरिक बनकर समाज कल्याण के लिए काम करता है

और यह सब संतो के सानिध्य में रहकर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्री गुरू रविदास की शिक्षाएं किसी समुदाय अथवा जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है।

श्री गुरू रविदास ने सैंकड़ो वर्ष पूर्व मानवता के सही मार्गदर्शन के लिए जो संदेश दिया था वह आज भी पूरी तरह सार्थक है तथा हमें अपने महापुरूषों के दिखाये गये रास्ते पर चलकर जीवन में आगे बढना है। हरियाणा सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक भावना के साथ सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार संत महापुरूष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत संतों महात्माओं के दिवस मना रही है जिससे कि लोगों को संतो–महापुरूषों के जीवनी से प्रेरणा मिले।

इस धर्मस्थान के पदाधिकारियों द्वारा समाज कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए प्रशंसा की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी व सरकार ने संतो का मान–सम्मान बढ़ाने का काम किया है तथा डा0 भीम राव अम्बेडकर जयंती, महर्षि वाल्मीकि जयंती, गुरू रविदास जयंती, कबीर जयंती को सरकारी तौर पर मनाया गया है। सरकार द्वारा हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं लागू की गई हैं।

सिक्किम के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात

(दिनांक 31.07.2023)

प्रभावः माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग से अपने आवास संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ में मुलाकात की। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच पारस्परिक सहयोग और विकास को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर चाय व ऑर्गेनिक खेती की संभावनाओं को तलाशने और पावर के नए प्रोजेक्ट लगाने को लेकर भी विस्तार से बातचीत हुई।

नूंह जिले में उत्पन्न स्थिति पर उच्चाधिकारियों के साथ बैठक करना

(दिनांक 01.08.2023)

प्रभाव: माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री श्री अनिल विज ने नूहं में उत्पन्न स्थिति पर उच्च प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक कर स्थिति का जायजा लिया। ममाननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 31 जुलाई को नूंह में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सालों से हर वर्ष सामाजिक यात्रा निकलती रही है और 31 जुलाई को भी इस यात्रा का आयोजन किया गया। कुछ लोगों ने न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस पर भी आक्रमण किया। परिणामस्वरूप यात्रा को भंग किया गया और आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। पूरी घटना किसी बड़े षड़यंत्र का हिस्सा लगती है।

बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना में नूंह क्षेत्र से बाहर के शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। अब तक 44 एफआईआर दर्ज की गई तथा 70

लोगों को नामजद कर हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं। जिनका जान–माल का नुकसान हुआ है, उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम पर संयम से काम लिया, ज्यों ही 31 जुलाई को दोपहर में घटना की जानकारी मिली, उसी समय पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीआईडी तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था को मौके पर भेजा गया। केंद्र सरकार से केंद्रीय पुलिस बल की कंपनियों की तैनाती के लिए अनुरोध किया गया, 16 कंपनियां नूंह व आसपास के इलाके में तैनात हैं। इसके अलावा, 30 कंपनियां हरियाणा पुलिस की भी मौके पर मौजूद हैं। आस–पास के जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बलों को बुलाया गया है।उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद व पलवल जिलों में भी कुछ छुट–पुट घटनाएं हुई थी, उन पर भी काबू पा लिया गया है। सभी जिलों में शांति स्थापित की गई है। एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लागू किया गया है और कुछ जिलों में धारा–144 लगाई गई है। सारी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आएं। प्रशासन ने भी शांति कमेटी की बैठक की है, और मैं आशा करता हूं कि लोग शांति बनाने में सहयोग करेंगे और आगे स्थिति न बिगड़े यह सुनिश्चित करेंगे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

क्षतिपूर्ति पोर्टल

(दिनांक 02.08.2023)

प्रभावः माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में प्रदेश में आई बाढ़ से नागरिकों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल के नये स्वरूप को लॉन्च किया है।

इस पोर्टल पर नागरिक अपने घर, पशुधन, फसलों, वाणिज्यिक और चल–अचल संपत्ति की क्षति व नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। अपने नुकसान के दावे अपलोड करने के लिए यह पोर्टल आम जनता के लिए 18 अगस्त 2023 तक खुला रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से हाल ही में नूहं में हुई घटना के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की जानकारी भी नागरिक दर्ज कर सकेंगे और एक योजना बनाकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पहले क्षतिपूर्ति पोर्टल में केवल किसान ही अपनी फसलों के नुकसान का ब्यौरा दर्ज कर सकते थे।

लेकिन अब सरकार ने पोर्टल में नए फीचर शामिल किए हैं, जिससे नागरिक जान–माल के नुकसान की जानकारी एक ही पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का उद्देश्य जनता द्वारा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।

उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन प्रक्रिया से समय कम हो जाएगा, मुआवजे के दावे की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। आम जनता से अनुरोध है कि वे इस पोर्टल का उपयोग करें।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इस पोर्टल पर लोग आपदा में खोए हुए पशुओं की किस्म और संख्या का विवरण भी अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह, घर के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में घर का प्रकार यानी कच्चा या पक्का और उसकी क्षति के प्रकार जैसे विवरण प्रदान करना आवश्यक है। नुकसान का आकलन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा कम से कम समय में सत्यापित किया जाएगा। मुआवजे की गणना सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी और उचित प्रक्रिया के बाद व निर्धारित मानदंडों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुआवजा संबंधी विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि चल संपत्ति के मामले में 5 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 80 प्रतिशत यानी 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा।

5 लाख से 10 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 70 प्रतिशत, 10 से 20 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 60 प्रतिशत, 20 से 50 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 40 प्रतिशत, 50 लाख रुपए से 1 करोड रुपए तक के नुकसान के लिए 30 प्रतिशत, 1 करोड रुपए से 1.5 करोड रुपए तक के नुकसान के लिए 20 प्रतिशत का

मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की ऊपरी सीमा 50 लाख रुपये तक सीमित की गई है।

इसी प्रकार, अचल संपत्ति के मामले में 1 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए शत–प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 75 प्रतिशत, 2 से 3 लाख रुपए तक के लिए 60 प्रतिशत, 3 से 5 लाख रुपए तक के लिए 50 प्रतिशत, 5 से 7 लाख रुपए तक के लिए 40 प्रतिशत, 7 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक के लिए 30 प्रतिशत का मुआवजा दिया जाएगा।

इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से पानी के बिलों पर 5 फीसदी प्रति वर्ष की वृद्धि के अनुसार 5 वर्षों का 25 प्रतिशत बढ़ाकर बिल देने का विषय सामने आया था। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक उन बिलों का 25 प्रतिशत माफ

कर दिया गया है और 5 प्रतिशत वृद्धि अब से लागू होगी।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा बिलों में 5 प्रतिशत की वृद्धि का सर्कुलर निकाला गया था, लेकिन डिमांड नोट नहीं भेजे। लोगों ने कहा कि एक साथ 25 प्रतिशत रेट बढ़ाना उचित नहीं है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2018 में जो 5 प्रतिशत की बढोतरी की थी, वह अब से लागू होगी। उन बिलों का 25 प्रतिशत माफ कर दिया है। इसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के लिए 42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

रोहतक लोक सभा के जन प्रतिनिधि व प्रबुद्घ व्यक्तियों से सीधा संवाद

(दिनांक 02.08.2023)

प्रभाव: लोक सभा वार प्रबुद्घ लोगों व जन प्रतिनिधियों को चण्डीगढ़ में उनके सरकारी आवास पर बुलाने का जो अभियान चलाया है उसका उद्देश्य पूर्व के कार्यों को पूर्ण करना है। अब तक आठ लोक सभा की 72 विधान सभा क्षेत्रों को कवर किया जा चुका है।

नौ विधान सभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विभागों व योजनाओं से उच्चाधिकारियों के साथ सीधी बात की तो लोगों ने अपने अनूठे अनुभव बताएं। किसी ने कहा ऐसे संवाद कम से कम तीन माह में एक बार अवश्य बनाना चाहिए, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा।

किसी ने कहा कि उच्चाधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत करना बहुत ही सुखद रहा। जिला स्तर व उप–मण्डल स्तर पर भी ऐसे ही संवाद हो तो धरातल पर समस्या का पता चल जाता है। किसी ने कहा कि यह संवाद

ज्ञानवर्धन भी है। सही मायने में आज सरकार है और अनुभव स्मरणीय पहल है। सरकार लोगों की भावना के अनुसार काम कर रही है कोई अडचन है तो आप लोगों अवश्य बताएं उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी आठ लोक सभा क्षेत्रों के लोगों व जन प्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा कर चुके है और सुझाव मांग चुके है। इस कड़ी में सिरसा व कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोग 9 व 16 अगस्त, 2023 के कार्यक्रम निर्धारित कर चुके है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

तंजानिया का दौरा करने वाले हरियाणा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक

(दिनांक 03.08.2023)

प्रभावः 6 से 12 जुलाई, 2023 तक तंजानिया का दौरा करने वाले हरियाणा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के उद्योगपतियों से स्थानीय स्तर पर उत्पाद बनाने और उन्हें अन्य देशों में निर्यात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि राज्य के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और हरियाणा को निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है। विदेश सहयोग विभाग अपने

साप्ताहिक सूचना पत्र

गो–ग्लोबल दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर आपसी सूझ बूझ और सहयोग के साथ सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए लगातार काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि विदेश सहयोग के लिए अलग से विभाग स्थापित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।

उन्होंने तंजानिया में अपने व्यापार के विस्तार के लिए निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से हरसंभव समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा कि संबंधित विभाग उनके हित के क्षेत्रों में सुविधा प्रदान करेंगे।

उन्होंने विदेश सहयोग विभाग को विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए तंजानिया निवेश केंद्र (टीआईसी) और तंजानिया व्यापार विकास प्राधिकरण के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने छात्र विनिमय कार्यक्रम और संकाय विनिमय कार्यक्रम शुरू करने के लिए संभावनाएं तलाशने और स्थानीय लोगों के कौशल को बढ़ाने और उनकी रोजगार क्षमता में सुधार की दिशा में भी काम करने को कहा।

मंत्रीमंडल की बैठक

(दिनांक 04.08.2023)

प्रभावः माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये जोकि निम्नप्रकार से हैंरू–

शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2023 मसौदे को मंजूरी प्रदान करना।

5 जून, 2017 को जारी शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2016 को निरस्त करते हुए शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2023 के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई। इस नई नीति का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करने, कर्मचारियों में नौकरी की संतुष्टि को बढ़ाने और निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से शिक्षकों व स्कूलों के प्रमुखों का न्यायसंगत, मांग–आधारित वितरण सुनिश्चित करना है। शिक्षक स्थानांतरण नीति वर्ष 2016 में अधिसूचित की गई थी और वर्ष 2017 में संशोधित की गई थी। बाद में समय–समय पर इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। समय के साथ विभाग ने वर्तमान नीति को लागू करने में कुछ चुनौतियों का अनुभव किया। इसलिए इस नीति को निरस्त करने तथा कुछ मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करके और कुछ नए प्रावधान शामिल करते हुए नीति को संक्षिप्त और सटीक बनाकर एक नई नीति लाने पर विचार किया गया।

अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 को संशोधित करना।

माननीय मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति नीति में संशोधन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह नीति भविष्य में युद्ध से हताहत होने वाले सैनिकों के सदस्यों पर लागू होगी।हरियाणा सरकार ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के परिवारों का मनोबल बनाए रखने के उद्देश्य से युद्ध में हताहत सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवार के सदस्य के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 को संशोधित किया है। संशोधित नीति के अनुसार रक्षा अधिकारियोंध्गृह मंत्रालय

द्वारा सशस्त्र बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य को किसी भी ऑपरेशन या किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान युद्धध्आईईडी विस्फोट आतंकवादी या उग्रवादी हमलों सीमा झड़पों और एम.टी. कार्डियक अरेस्ट, हवाई दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाओं में असाधारण साहस और कर्तव्य पालन के प्रति समर्पण की मांग करने, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में वास्तविक आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान जैसी विभिन्न प्रकार की घटनाओं में मृत्यु होने वाले शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इससे पहले 30 मई 2014 और 28 सितंबर 2018 की पिछली नीतियों के अनुसार नौकरियां केवल उन शहीदों के आश्रितों को प्रदान की जाती थीं जो सीमा पर झड़पों, आतंकवादी हमलों या दंगों में मारे जाते थे और जिन्हें रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय द्वारा शहीद घोषित किया जाता था। इसके अलावा अब अनुकंपा नियुक्ति नीति के पात्र परिवार के सदस्यों की परिभाषा को भी बढ़ाया गया है। संशोधित नीति के तहत अनुकंपा नियुक्ति के प्रयोजन के लिए युद्ध से हताहत के परिवार में पतिध्पत्नी शामिल हैं, यदि पति या पत्नी नियुक्ति नहीं चाहते हैं, तो विवाहित या अविवाहित बच्चों में से एक को लाभ दिया जा सकता है। इसमें कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल किए गए हैं, बशर्ते कि मृत सैनिकध्युद्ध में हताहत व्यक्ति ने जीवित अवस्था में ही

बच्चा गोद लिया हो। यदि युद्ध में हताहत व्यक्ति अविवाहित था तो उसके माता–पिता की सहमति से ही अविवाहित या विवाहित भाई या अविवाहित बहन या जिसके लिए माता–पिता और अन्य अविवाहित बहनों और भाईओं द्वारा सहमति दी जाती है उसे नीति का लाभ दिया जाएगा। नीति का उद्देश्य सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के युद्ध हताहतों के परिवार के पात्र सदस्यों में से एक जो हरियाणा का निवासी है, उसी को अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से परिवार की सहायता करना है।

शहीद डी.एस.पी. सुरेंद्र सिंह के पुत्र सिद्धार्थ को अनुकंपा आधार पर डी. एस.पी. नियुक्ति प्रदान करना।

मंत्रिमंडल की बैठक में एक्स ग्रेशिया रूल, 2019 में विशेष केस के रूप में छूट प्रदान करते हुए डी.एस.पी. शहीद सुरेंद्र सिंह के पुत्र सिद्धार्थ को अनुकंपा आधार पर डी.एस.पी. नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। डीएसपी श्री सुरेंद्र सिंह को अवैध खनन की रोकथाम के लिए तावडू में लगाया गया था। जहाँ ड्यूटी के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर डंपर से हमला कर दिया और दुर्भाग्यवश उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। राज्य सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया और मुख्यमंत्री ने उनके बेटे को इस पद पर नियुक्त करने की घोषणा की।

पदमा नीति में संशोधन को स्वीकृति प्रदान करना।

मंत्रिमंडल की बैठक में एमएसएमई के त्वरित विकास के लिए अग्रिम कार्यक्रम (पदमा) नीति की अधिसूचना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के उपरांत प्रत्येक ब्लॉक के लिए, न्यूनतम 25 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाला एक नया एमएसएमई औद्योगिक क्लस्टर विकसित किया जाएगा, जो पहले 100 एकड़ का था। प्रत्येक एमएसएमई क्लस्टर में अन्य सक्षम बुनियादी ढांचे के साथ न्यूनतम 20 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) का गठन किया जा सकेगा। परियोजना के लिए भूमि की व्यवस्था राज्य सरकार या कार्यक्रम में

साप्ताहिक सूचना पत्र

भाग लेने के इच्छुक निजी डेवलपर्स द्वारा या खरीद के माध्यम से या कम से कम 30 वर्षों के पट्टे पर की जा सकती है। राज्य सरकार कार्यान्वयन एजेंसी के लिए राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास योजना (एसआईडीएस) या निजी कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के लिए पदमा क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (पीसीआईडीएस) के तहत विकासशील एजेंसी द्वारा राज्य सरकार से 50 प्रतिशत से 85 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकेगी जो अधिकतम 50 करोड़ रुपये होगा।